फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामकुवार वगै0 बनाम ग्रा0पचायत लालवास वगै0

ना नम्बर : 188/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.08.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध वादी का वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस का मनन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बाढरसूलपुरा तहसील आंधी जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 171 रकबा 0.6800हे0 जिसके एकीकरण खसरा नम्बर 106 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा जो मिलान क्षेत्रफल अनुसार सेटलमेंट 2008 के खसरा नम्बर 297, 309, 310, 311, 312, 313 है। जिस पर वादीगणों का कब्जा चला आ रहा है। उक्त आबादी में पटटा सं0 24 जिसके मिलान संख्या 24 के द्वारा दिनांक 22.11.1999 को 101 वर्गगज का जारी किया था। जिस पर वादीगण का काबिज है तथा वादीगण द्वारा पाटोल लगाकर डेहरे डाल रखे है। पटटा शुदा भूमि से प्रतिवादीगण को कोई संबंध सरोकार नही है तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पूर्व में दिनांक 22.11.1999को वादी संख्या 1 के पक्ष पटटा सं0 24 जारी किया गया है जिसके बावजूद प्रतिवादी सं0 1 ने ड्रोन सर्वे करवाया है और वादीगण को नोटिस जारी किया है तथा मौके पर नाम झोक की जावेगी जबकि वादीगण ने एक वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष एक वाद सं0 63/2022 धारा 131, 132, 136 रेवेन्यू एक्ट बाबत नक्शा दुरूस्ती हेतु पेश कर रखा है जो वर्तमान में श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है। जिसके बावजूद प्रतिवादी सं0 1 मौका स्थिति मे फेरबद करना चाहती है। और वादीगण को वादीगण के पटटेशुदा आबादी भूमि से बेकाबिज करने पर आमादा है जिसका उनको कोई विधिक अधिकार नही है। अतः जब तक वाद सं0 63/2022 धारा 131, 132, 136 रेवेन्यू एक्ट में नवशा दुरूस तनह होता है तब तक प्रतिवादीगणों को पाबन्द फरमाया जावें। पत्रावली में उपलब्ध वादीगणों का वाद पत्र एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार करना उचित नही समझते है। अतः वादीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से नाम हो तथा वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	